न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–90 / 2026
रानीगंज थाना कांड संख्या– 423 / 2025

सूरज कुमार..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

21-04-2026 आवेदक / अभियुक्त सूरज कुमार की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो रानीगंज थाना कांड संख्या– 423 / 2025, अंतर्गत धारा–96, 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार बच्चन एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक रामदेव प्रसाद राय के अनुसार यह है कि दिनांक 05.11.2025 को समय करीब 10 बजे रात्रि में उसकी पोती दिव्या कुमारी जो अचानक घर से गायब हो गयी। जब कुछ देर तक घर वापस नहीं आयी तो वह तथा उसके परिजन खोजबीन करने लगे। खोजबीन के क्रम में पता चला कि अभियुक्त विजय कुमार मंडल ने बहला–फुसलाकर शादी करने की नियत से अपहरण कर ले गया है। जब सूचक अभियुक्त विजय कुमार मंडल के घ ार पर गया और घटना के संबंध में कहने लगा तो प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण गुस्सा में आकर बोला कि जिस बाप के यहां जाना है, जाओ, हम देख लेंगे।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा इससे पूर्व कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदक के विरूद्ध कथित घटना का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोप नहीं है। आवेदक के विरूद्ध अपहरण करने का कोई आरोप नहीं है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पर कक्षा आठवीं की छात्रा को शादी के उद्देश्य से अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। केस डायरी में सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। मामले में न तो अपहृता बरामद हुई और न ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कांड में अन्वेषण अभी लंबित है। मामला गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।